



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक संख्या : ग.वि.वि./प्रशासन/2025/374

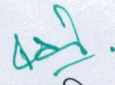
दिनांक : 13 / 06 / 2025

अधिसूचना (Notification)

एतद्वारा विश्वविद्यालय के समस्त परिसर निदेशकों/विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों/विभागों/अनुभागों को निर्देशित किया जाता है कि राजभाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक सं०: 11011/02/2025 रा०भा०प्र० दिनांक 16.05.2025 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन के आलोक में विश्वविद्यालय के समस्त नियन्त्रक अधिकारियों से निवेदन है कि अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षकों/कार्मिकों को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले समस्त 14 प्रकार के पत्रजातों को द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

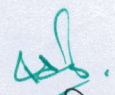
All the Campus Directors/HODs/Deans/Departments/Sections of the University is hereby directed that they must ensure that Official Letters of 14 types falling under section 3(3) of the official language act 1963 is to be issued in bilingual form i.e, Hindi and English vide Letter No. 11011/02/2025 RA.BHA.PRA. Dated 16-05-2025 of the Dept. of official language, Ministry of Education, Govt. of India.

Attached: letter No. 11011/02/2025- RA.BHA.PRA. Dated 16/05/2025.


कुलसचिव


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समन्वयक राजभाषा हिन्दी प्रकोष्ठ, बिड़ला परिसर, श्रीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त परिसर निदेशक।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. मुख्य नियन्ता/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/परीक्षा नियन्त्रक/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/अधिशाली
5. अभियन्ता/पुस्तकालयाध्यक्ष/सुरक्षा अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी।
6. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, उपकार्यालय, देहरादून।
7. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से कि उक्त परिपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
10. निजी सचिव, वित्त अधिकारी/कुलसचिव।
11. गार्ड फाइल/सूचना पट।


कुलसचिव


014

सं. 11011/2/2025-रा.भा.प्र.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16 मई, 2025

कार्यालय जापन

विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किए जाने के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों को द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना निर्धारित है:

1. सामान्य आदेश
2. परिपत्र
3. संकल्प
4. नियम
5. जापन
6. अधिसूचनाएं
7. प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन
8. प्रैस विज्ञप्तियां
9. संविदाएं
10. करार
11. अनुज्ञप्तियां
12. अनुज्ञा पत्र
13. निविदा सूचना एवं निविदा प्रारूप
14. नीति संबंधी दस्तावेज

अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय में उपर्युक्त दस्तावेजों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

3
16/05/2025
(अजय कुमार झा)

उप निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 011-23380429

ई मेल: rajbhasha.edu@gmail.com

सेवा में,

शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संस्थान/विश्वविद्यालय/परिषद/बोर्ड आदि के प्रमुख।
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा एवं प्रशासन)।
2. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति।

सन्तोष कुमारी
(सन्तोष कुमारी) 16/5/25